कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,म0प्र0 भोपाल.

rcs_ legal@yahoo.in

क्रमांक / विधि / 2016 / 857 भोपाल, दिनांक 22-10-2016

प्रति,

उप / सहायक आयुक्त,
सहकारिता,
समस्त जिले म0प्र0

विषयः— मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अवमान्ना प्रकरणों के संबंध में ।

—0—

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का पत्र क्र. 3061 / 2016 / 21—(आप0) दिनांक 22.9.2016. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, सहकारिता विभाग द्वारा पृष्ठांकित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में निर्देशित किया गया है कि मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले अवमान्ना प्रकरणों में सूचना पत्र तामील होने के बावजूद भी संबंधित द्वारा मान्नीय न्यायालय के समक्ष नियत पेशी पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाने पर सख्त कार्यवाही का निर्णय लिया गया है एवं भविष्य में अनुपस्थिति की स्थिति में मान्नीय न्यायालय द्वारा वारंट से तलब किया जा सकता है ।

मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अवमानना प्रकरणों में आपको संपर्क अधिकारी नियुक्तकिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अवमान्ना प्रकरण से संबंधित अधिकारी से संपर्क कर मान्नीय न्यायालय में अधिवक्ता पत्र प्रस्तुत कराएंगे तथा संबंधित अधिवक्ता से संपर्क कर जवाबदावा तैयार कराकर मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहकर प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करेंगे ।

(कवीन्द्र कियावत)
आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म0प्र0

पृ0क0 / विधि / 2016 / 857 भोपाल, दिनांक 22-10-2016

प्रतिलिपिः—

1. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता समस्त संभाग म0प्र0 ।
2. अपर / संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय समस्त कृपया अवमान्ना प्रकरणों में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की और से जिले के उप अथवा सहायक आयुक्त को संपर्क अधिकारी नियुक्त करें ।

आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,म0प्र0